न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नं0–2, लखनऊ।

CNR No. UPLK01-012785-2022

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–7458/2022

बेचे लाल उर्फ बेचूलाल पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम (फरसा) करसा, थाना रेऊसा, जनपद सीतापुर, वर्तमान निवासी बाबा जी की बगिया, थाना हसनगंज, लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार
2. लक्ष्मी पत्नी विजय सिंह निवासी बाबा की बगिया फैजाबाद रोड, डालीगंज, पुलिस स्टेशन हसनगंज, जिला लखनऊ।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी, लखनऊ।
4. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी,लखनऊ अध्यक्ष।

.....अभियोगी

अपराध संख्या–143/2022
धारा–376 भा0दं0सं0
व 3/4 पोक्सो एक्ट,
थाना–हसनगंज, जिला–लखनऊ।

दिनांक–08.09.2022

अभियुक्त बेचे लाल उर्फ बेचूलाल की ओर से अपराध संख्या–143/2022, धारा–376 भा0दं0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना–हसनगंज, जिला–लखनऊ के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनॉक 15.06.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना हसनगंज में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की, कि प्रार्थिनी की 15 वर्षीय लड़की ज्योति को मोहल्ले में किराये पर रहने वाला बैचुलाल बहला फुसलाकर कहीं ले गया। ज्योति आई0टी0 कालेज पर सड़क के किनारे पान मसाला लगाती थी। तभी इन लोगों की मुलाकात हुई। प्रार्थिनी की लड़की को बेचेलाल दिनॉक 17.5.22 को समय करीब 9.30 बजे भगा ले गया। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इस घटना से प्रार्थिनी बहुत परेशान है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनॉक 26.06.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने पर कोई अपराध कारित नहीं करेगा और जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

वादिनी मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है।

अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है और यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

मैंने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसके द्वारा वादिनी मुकदमा की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगाकर शादी का झॉसा देकर उसका व्यपहरण किया गया।

दौरान विवेचना पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उसके द्वारा अपनी उम्र 18 वर्ष बतायी गयी और यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त बेचे लाल को तीन महीना से जानती हूँ। मैं उससे प्यार करती थी। दिनॉक 05.06.2022 को प्रार्थी/अभियुक्त से कहा कि मुझे यहां से ले चलो नहीं तो मैं जान दे दूँगी। **पीड़िता के जबरदस्ती करने पर वह तैयार हो गया।** फिर दिनॉक 15.06.2022 को शाम 07.30 बजे पीड़िता बिना किसी को बताये घर से निकल गयी। उसके द्वारा यह कथन किया गया कि लड़के को मैंने चारबाग बुलाया था वहॉ से बस पकड़कर हम दोनों सीतापुर गये। वहॉ पहुँचते ही लड़के से मैंने कहा मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ दो मेरी मम्मी मुझे ले जायेगी। फिर वहॉ सीतापुर में मौसी के घर बेचे लाल ने मुझे छोड़ दिया। **मेरे साथ किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष पायी गयी।**

अभियुक्त की जमानत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 में पूर्व में हो चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **बेचे लाल उर्फ बेचूलाल** का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 143/2022, धारा–376 भा0दं0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना–हसनगंज, लखनऊ के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रूपये** का निजी बंधपत्र एवं उसी धनराशि की **दो** जमानतें न्यायालय की संतुष्टि के अधीन दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक को सहयोग करेगा तथा गवाहों को किसी प्रकार से डरायेगा व धमकायेगा नही।
2. दौरान विचारण अभियुक्त साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जबकि साक्षी न्यायालय में उपस्थित हो, कोई स्थगन नही लेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसका जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अभियुक्त न्यायालय के समक्ष वाद के आरम्भ में, आरोप विरचित किये जाने तथा कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर अवश्य उपस्थित रहेगा।
4. अभियुक्त अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा। यदि अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना/विचारण अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर परिवर्तित किया जाता है तो उसका विवरण विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

(मयंक त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट
कोर्ट नं0–2, लखनऊ।